मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन,

मुख्यालय भोपाल

प्रेस–नोट

आने वाले रबी सीजन 2013–14 में उपार्जित गेहूं के भण्डारण हेतु शासन की योजनाओं में निजी गोदाम मालिकों ने दिखाई रूचि

रबी सीजन 2013–14 में 110 लाख मे.टन के अनुमानित उपार्जन एवं उसकी भण्डारण व्यवस्था के लिए शासन द्वारा व्यापक व्यस्थाऐं की गयी हैं ।

निजी गोदामों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आकर्षक संयुक्त भागीदारी योजना उनकी क्षमता अनुसार सुविधाऐं उपलब्ध कराने के आधार पर चार वैकल्पिक योजनाऐं तैयार की गयी हैं, निजी गोदाम संचालक इन चार योजनाओं में से कोई विकल्प अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं । निजी गोदाम संचालकों को इस कार्य में अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के लिए 4 माह की व्यवसाय गारंटी शासन द्वारा दी जा रही है ।

प्रदेश में पहली बार निजी गोदामों को पंजीकरण करने की "ऑनलाईन" पद्धति का विकास किया गया है ताकि ऐसे गोदाम मालिकों को अपने गोदाम शासन को उपलब्ध कराने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़ें तथा सुविधाजनक तरीके से वे अपना आवेदन **"ऑनलाईन"** प्रस्तुत कर सकें । यह व्यवस्था मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम M.P.Online की सहायता से की गयी है ।

ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से निजी गोदाम मालिकों द्वारा अत्याधिक उत्साह प्रदर्शित करते हुए पिछले 15 दिनों में ही 1400 गोदामों के 50 लाख मे.टन क्षमता का पंजीकरण कराया जा चुका है एवं 30 लाख मे.टन क्षमता के 800 से अधिक गोदाम मालिकों द्वारा शासन को गेहूं भण्डारण करने के लिए गोदाम उपलब्ध कराने की पेशकश की जा चुकी है एवं यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है ।

शासन द्वारा संयुक्त भागीदारी योजना के तहत 4 माह की व्यवसाय गारंटी प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि 10 मार्च 2013 रखी गयी थी जिसे बढ़ाकर 16 मार्च 2013 कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक निजी गोदामों के "ऑनलाईन" प्रस्ताव प्राप्त हो सकें तथा उन्हें भण्डारण के लिए अनुबंधित किया जा सके । दिनांक 16 मार्च 2013 के बाद अनुबंध करने पर निजी गोदाम मालिकों को व्यवसाय गारंटी का लाभ शासन द्वारा नहीं दिया जावेगा ।

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा निजी भागीदारी का यह **"मॉडल"** पूरे देश के सामने एक उदाहरण बन गया है तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए राज्य उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान के अधिकारियों द्वारा यहां का दौरा किया जा रहा है तथा इस मॉडल को अपने प्रदेश में लागू करने के लिए आवश्यक जानकारी मांगी जा रही है ।

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा निजी भागीदारी की इस योजना के माध्यम से सुचारू भण्डारण व्यवस्था करने के लिए अधिकाधिक निजी गोदाम संचालकों द्वारा उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा है ।

09/3/13

महाप्रबंधक (वाणिज्य)

मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन,
मुख्यालय भोपाल

क्रमांक/मप्रवेलाका/व्यवसाय/2013/ भोपाल दिनांक

विपणन वर्ष 2013–14 में खाद्यान्न भण्डारण हेतु "पंजीकृत "निजी गोदाम संचालकों से "इच्छा की अभिव्यक्ति" के प्रस्ताव विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, को खाद्यान्न के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों की आवश्यकता है, जिसके परिपेक्ष्य में ऐसे निजी गोदाम संचालक जिनके द्वारा अपने गोदाम का निगम में "ऑनलाईन पंजीकरण" कराया गया है, उनसे विपणन वर्ष 2013–14 के उपार्जित गेहूं भण्डारण हेतु निम्नानुसार योजनाओं के अन्तर्गत "**दिनांक 10 मार्च 2013**" तक प्रस्ताव आमंत्रित करता है :–

(अ) WDRA में पंजीकृत गोदाम संचालक जो विपणन वर्ष 2013–14 के उपार्जित गेहूं को केन्द्रीय भण्डारगृह निगम/भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रावधानित मापदण्डों के अनुसार वैज्ञानिक रख–रखाव, कीटोपचार, वेयरहाउस रसीद जारी करने, बीमा एवं निर्धारित 1% गेन (आधिक्य) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वहन करने हेतु तैयार हैं, तो उन्हें राशि रूपये 49/–प्रति मे. टन प्रतिमाह वास्तविक भण्डारित मात्रा एवं अवधि से भुगतान देय होगा, जिसमें से अन्य आवश्यक टैक्स का कटोत्रा किया जावेगा ।

(ब) ऐसे गोदाम संचालक जो संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंध निष्पादित करते समय, स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु निगम द्वारा तय की गई आवश्यक सामग्री एवं सुविधाऐं उपलब्ध कराने के साथ–साथ वैज्ञानिक भण्डारण हेतु आवश्यक तकनीकी संसाधन भीउपलब्ध कराते हैं तो उन्हें राशि रूपये 36/–प्रति मे.टन प्रतिमाह की दर से वास्तविक भण्डारित मात्रा एवं अवधि से भुगतान देय होगा, जिसमें से अन्य आवश्यक टैक्स का कटोत्रा किया जावेगा ।

(स) ऐसे गोदाम संचालक जो संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंध निष्पादित करते समय, स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण के साथ–साथ निगम द्वारा तय अतिआवश्यक सामग्री एवं सुविधाऐं उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें राशि रूपये 28/–प्रति मे.टन प्रतिमाह की दर से वास्तविक भण्डारित मात्रा एवं अवधि से भुगतान देय होगा, जिसमें से अन्य आवश्यक टैक्स का कटोत्रा किया जावेगा ।

उपरोक्त (ब) एवं (स) योजना हेतु 4 माह की व्यवसाय गारंटी प्रथम भण्डारण दिनांक से प्रदान की जावेगी ।

(द) ऐसे गोदाम संचालक जो अपनी गोदामें MPWLC को स्वेच्छा से किराये पर देना चाहते हैं तथा अपने गोदामों में स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु निगम द्वारा तय अतिआवश्यक सामग्री एवं सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें MPWLC द्वारा निर्धारित गोदाम किराया राशि रूपये 15/–प्रति मे.टन प्रतिमाह की दर से देय होगा, जिसमें से अन्य आवश्यक टैक्स का कटोत्रा किया जावेगा ।

WDRA पंजीकृत एवं किराये की प्रस्तावित योजना (अ) एवं (द) हेतु किसी प्रकार की व्यवसाय गारंटी देय नहीं होगी ।

उपरोक्त योजनाओं अनुसार पंजीकृत निजी गोदाम संचालक अपने विकल्प निगम की वेबसाईट पर जाकर "ऑनलाईन" भर सकते हैं ।

संयुक्त भागीदारी योजना एवं किराये पर ली जाने वाली भण्डारण क्षमता के अनुबंध प्रारूप एवं विस्तृत शर्तें, निगम की वेबसाइट www.mpwarehousing.com पर देखी जा सकती हैं। साथ ही ऑनलाईन विकल्प की सुविधा "MPOnline" की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

महाप्रबंधक (वाणिज्य)